

कृषक मित्र योजना



कृषि विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल

कृषक मित्र योजना

अभी तक कृषि तकनीकी का विस्तार शासकीय अमले के माध्यम से किया जाता रहा है, जबकि यह कार्य प्रशिक्षित कृषकों द्वारा भी संपादित किया जा सकता है। अतः कृषि प्रसार कार्य में प्रगतिशील कृषकों की भागीदारी एवं योगदान सुनिश्चित करने हेतु इस वित्तीय वर्ष से कृषि विभाग में किसान मित्र योजना प्रारम्भ की गयी है।

उद्देश्य – कृषक मित्र योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. ग्रामीण कृषकों को कृषक मित्र के रूप में कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों में इस प्रकार प्रशिक्षित करना जिससे वे अन्य कृषकों को प्रशिक्षित कर न केवल अतिरिक्त आय के संसाधन विकसित कर सकें वरन् कृषि क्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता एवं उत्पादन प्राप्त कर सकें।
2. कृषि क्षेत्र में कृषकों द्वारा किये जा रहे योगदान को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना।
3. विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में गति लाना एवं कृषकों को उनका अधिकतम लाभ दिलवाना।
4. कृषि विस्तार अमले, कृषि वैज्ञानिकों एवं सामान्य कृषकों के बीच परस्पर समन्वय के लिये आदर्श कड़ी की स्थापना करना।

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

योजना के कार्यक्षेत्र में प्रत्येक ग्राम से एक कृषक मित्र का चयन किया जावेगा।

कृषक मित्र के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम

योजनान्तर्गत कृषक मित्रों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में विभागीय योजनाओं से परिचय, उत्पादन

बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी, कृषि पखवाड़े तथा रबी एवं खरीफ कार्यक्रम तैयार करने में कृषक मित्रों की भूमिका आदि विषय सम्मिलित होंगे । इसके अतिरिक्त जैविक खेती कार्यक्रम, कृषि उत्पादन की नवीन तकनीकी, पशुपालन संवर्धन एवं एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

विभागीय सहयोग

कृषक मित्र, उनसे की जा रही अपेक्षाओं की पूर्ति सक्षम तरीके से कर सके, इसके लिये विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी ।

1 विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत आयोजित होने वाले ग्राम स्तरीय प्रशिक्षणों में कृषक मित्र को आमंत्रित करने का दायित्व संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी का होगा ।

2 प्रत्येक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अपने क्षेत्रीय भ्रमण के समय कृषक मित्र से आवश्यक रूप से सम्पर्क करेंगे एवं यदि उनकी कृषि से संबंधित कोई समस्याएं हों तो उन्हें हल करने हेतु प्राथमिकता पर प्रयास करेंगे ।

कृषक मित्रों के दायित्व

कृषक मित्र योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कृषक मित्रों से अपेक्षा है कि वे निम्न दायित्वों का निर्वहन कर कृषि प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रम में कृषि विभाग के सहयोगी होंगे ।

1. प्रशिक्षित कृषक मित्र क्षेत्रीय कृषि कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में अपने ग्राम के खरीफ एवं रबी के लिये कृषि कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग देंगे । साथ ही विभाग द्वारा आयोजित कृषि पखवाड़ों के दौरान दल के साथ रहकर अधिक से अधिक कृषकों को तकनीकी ज्ञान एवं कृषि आदान की व्यवस्था के लिये सहयोग करेंगे ।

2. ग्रामों में उद्यानिकी के लिये महिलाओं एवं अन्य कृषकों के समूह बनाकर वृक्षारोपण, सब्जी-भाजी आदि

के लिये स्वसहायता समूह का गठन करने में सहयोगी भूमिका निभाएंगे ।

3. ग्रामों में सुधरे एवं अच्छे बीजों की उपलब्धता के लिये अपने ग्रामों में गठित स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहित कर उन्हें "बीज" के संदर्भ में स्वावलंबी बनाने में मदद करेंगे ।

4. खरीफ एवं रबी की बोनी के पूर्व यथा संभव ग्राम के सभी पुरुषों को मुख्य-मुख्य आवश्यक कृषि तकनीक, तथा मौसम के अनुरूप स्थानीय स्थिति के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित करवाने में सहयोग देंगे ।

5. अतिरिक्त आय के साधन जुटाने के लिये मुर्गी पालन, डेयरी, जैविक खेती आदि अपनाते हुए अन्य कृषकों को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

6. ग्राम स्तरीय आयोजित प्रशिक्षणों में चयनित कृषक मित्र सहयोगी के रूप में न केवल सहयोग करेंगे वरन् आवश्यकता के अनुरूप स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

7. हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों के चयन हेतु केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह कर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करवाने का प्रयास करेंगे ।

8. कृषक मित्र अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अमले, कृषि वैज्ञानिक एवं सामान्य कृषकों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित कर सूचनाओं के आदान-प्रदान में स्थायित्व लायेंगे ।

विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे कृषक प्रशिक्षणों में उपस्थित रह कर विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपने क्षेत्र में उनके प्रचार-प्रसार हेतु यथा संभव योगदान देंगे ।